न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 18 / **2023** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/18

1. श्रीमती सज्जन कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री भान सिंह राजपूत, पत्नी श्री राजकुमार, निवासीः मकान नम्बर 157, बी ब्लॉक, खेजड़ी चौराहे वाली गली, सेक्टर नम्बर 14, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी स्वर्गीय श्री भान सिंह राजपूत, निवासीः 4200, नूतन गैस गौदाम के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)
2. श्री निर्भय सिंह पिता स्वर्गीय श्री भान सिंह जी, निवासी 4200, नूतन गैस गौदाम के पास, सवीना खेडा, उदयपुर (राज.)
3. श्री प्रताप सिंह पिता स्वर्गीय श्री भान सिंह जी, निवासी 4200, नूतन गैस गौदाम के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)
4. श्री विरेन्द्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह जी राजपूत, निवासी 4200, नूतन गैस गौदाम के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कला कुंवर पत्नी स्वर्गीय श्री मनोहर जी राजपूत, निवासी 4200, नूतन गैस गौदाम के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)
6. श्री देवी सिंह पिता स्वर्गीय श्री भंवर सिंह, निवासी मकान नम्बर 4204, खेड़ेश्वर महादेव के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)
7. श्री केसर सिंह पिता स्वर्गीय श्री भंवर सिंह, निवासी मकान नम्बर 4204, खेड़ेश्वर महादेव के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती हन्सु कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री भंवर सिंह राजपूत, पत्नी श्री हरि सिंह, निवासी वाड़ा बावड़ी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती दुर्गा कुंवर पुत्री स्वर्गीय भंवर सिंह, पत्नी श्री विक्रम सिंह जी राजपूत, निवासी भैरूजी की घाटी, साकरोदा टोल टैक्स के पास, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती चन्द्र कुंवर उर्फ चन्द्र बाई पत्नी स्वर्गीय श्री भंवर सिंह, निवासी मकान नम्बर 4204, खेड़ेश्वर महादेव के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)
11. श्री भैरू सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री रोड सिंह जी राजपूत, निवासी मकान नम्बर 18, श्री जी विहार, सैक्टर नम्बर 14, सवीनाखेड़ा, उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती लाली कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री रोड़ सिंह जी राजपूत, पत्नी श्री प्रेम सिंह सिसोदिया, निवासी ब्रहमपुरी, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर,
उदयपुर

13. श्रीमती लक्ष्मी कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री रोड़ सिंह जी राजपूत, पत्नी श्री फतह सिंह सिसोदिया, निवासी भैरूजी की घाटी, साकरोदा टोल टैक्स के पास, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती मन्जु कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री रोड सिंह जी राजपूत, पत्नी श्री लाल सिंह राजपूत, निवासी मादड़ी इण्स्ट्रीयल एरिया, रोड़ नम्बर 11. अंगरवास, बेड़वास, उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती सीता कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री रोड सिंह जी राजपूत, पत्नी श्री भीम सिंह सिसोदिया, निवासी मकान नम्बर 18, श्री जी विहार, सेक्टर नम्बर 14, सवीनाखेड़ा, उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती मांगु कुंवर पत्नी स्वर्गीय श्री रोड सिंह, निवासी मकान नम्बर 18, श्री जी विहार, सेक्टर नम्बर 14, सवीनाखेड़ा, उदयपुर (राज.)
17. श्री खुमाण सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री चतर सिंह राजपूत, निवासी मकान नम्बर 5, श्रीजी विहार, सेक्टर नम्बर 14, सवीनाखेड़ा, उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय
    17/1. श्रीमती गणेश कुंवर पत्नी स्व. खुमाण सिंह देवड़ा
    17/2. श्री रणजीत सिंह पिता स्व. खुमाण सिंह देवड़ा
    17/3. श्रीमती पुष्पा कुंवर पुत्री स्व. खुमाण सिंह देवड़ा
    17/4. श्रीमती प्रताप कुंवर पुत्री स्व. खुमाण सिंह देवड़ा
    17/5. श्रीमती कैलाश कुंवार पुत्री स्व. खुमाण सिंह देवड़ा
    सर्वनिवासीः सवीनाखेड़ा, उदयपुर
18. श्री वजे सिंह उर्फ विजय सिंह पिता स्वर्गीय श्री चतर सिंह राजपूत, निवासी 4199, नूतन गैस गौदाम के पास सवीनाखेडा, उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टस्

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बनाराजगी तहसीलदार, बड़गांव, नामान्तरकरण संख्या 1986 दिनांक 17.01.2007</u>

उपस्थित अधिवक्तागण :

श्री अजयसिंह हाड़ा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री हुकमसिंह देवड़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7, 10 से12 एवं 14 से 17

निर्णय

दिनांकः– 27/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील के पैरा नंबर 1 में वर्णित सजरानुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 18 तक के मूल पुरूष श्री चतर सिंह पिता श्री जगत सिंह थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 04.10.1999 को होकर उनके कुल 5 पुत्र

जिला कलक्टर
उदयपुर

क्रमशः भंवर सिंह, वजे सिंह उर्फ विजय सिंह, रोड़ सिंह, खुमाण सिंह एवं भान सिंह राजपूत हुए उनकी पत्नी श्रीमती भंवर कुंवर रही है। जिसमे से श्री भान सिंह जो की अपीलाण्ट के पिता होकर उनका स्वर्गवास दिनांक 04.11.1995 को हो चुका है, श्री भान सिंह की पत्नी श्रीमती शोभा कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 1), तीन पुत्र निर्भय सिंह (रेस्पोडेण्ट संख्या 2). प्रताप सिंह (रेस्पोडेण्ट संख्या 3), मनोहर सिंह एवं एकमात्र पुत्री सज्जन कुंवर (अपीलाण्ट) हुए जिसमें से मनोहर सिंह का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2005 को होकर मनोहर सिंह जी के विधिक वारिसान में एक पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह उर्फ सोनु (अपीलाण्ट संख्या 4) एवं पत्नी श्रीमती कला कुंवर (रस्पोडेण्ट संख्या 5) है इसी प्रकार चतर सिंह जी के पुत्र भंवर सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है जिनके दो पुत्र देवी सिंह (रेस्पोडेण्ट संख्या 6), केसर सिंह (रेस्पोडेण्ट संख्या 7) दो पुत्रियां श्रीमती हन्सु कुंवर (रस्पोडेण्ट संख्या 8), श्रीमती दुर्गा कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 9) एवं पत्नी श्रीमती चन्द्र कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 10) है तथा रोड़ सिंह जी का स्वर्गवास होकर उनके विधिक वारिसान में एक पुत्र श्री भैरू सिंह (रेस्पोडेण्ट संख्या 11), चार पुत्रियां क्रमशः लाली कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 12), लक्ष्मी कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 13), मन्जु कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 14), सीता कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 15) एवं पत्नी श्रीमती मांगु कुंवर (रेस्पोडेण्ट संख्या 16) है, श्री चतर सिंह जी के शेष जीवित दो पुत्र खुमाण सिंह एवं विजय सिंह उर्फ वजे सिंह प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 17 एवं 18 है जो प्रकरण में पक्षकार होकर सभी एक संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य रहे है। अपीलाण्ट की जन्म दिनांक 15.06.1988 होकर अपीलाण्ट की पैतृक कृषि भूमियां ग्राम सवीनाखेडा पटवार हल्का सवीना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में स्थित होकर हाल आराजी संख्या 257, 366 है जिनमें अपीलाण्ट का जन्म से सिद्ध हक अधिकार होकर अपीलाण्ट आज भी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। उक्त भूमि के मूल पुरूष श्री चतर सिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक वारिसान को विरासत से प्राप्त हुई जिसको राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने की प्रक्रिया रेस्पोडेण्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 17, 18 द्वारा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 10 के पूर्व पुरूष श्री भंवर सिंह द्वारा अपनाई गई जिनके द्वारा अपीलाण्ट का नाम छिपाकर तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके ग्राम सवीनाखेड़ा पटवार हल्का सवीना तहसील गिर्वा के हाल आराजी संख्या 257, 366 के सम्बन्ध में नामान्तरणकरण संख्या 1986 दि 17.01.2007 को अधीनस्थ न्यायालय से तस्दीक करवा लिया जिसकी जानकारी हाल ही में दिनांक 20.02.2023 को अपीलाण्ट को हुई। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1986 दिनांक 17.01.2007 प्रथम दृष्टया विधि एवं

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. चतर सिंह जी के पुत्र भान सिंह जी के विधिक वारिसान बाबत् कोई प्रभावी जांच नही की गई, ना कोई पटवारी हल्का अथवा क्षेत्रिय वार्ड पंच से कोई जानकारी की तथा बिना किसी विधिक जांच एवं प्रक्रिया के पटवारी हल्का एवं श्री भंवर सिंह राजपूत एवं शोभा कुंवर के कहे अनुसार अपीलाण्ट का नाम विलोपित कर नामान्तरणकरण अवैधानिक ढंग से तस्दीक कर दिया जिसके कारण अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से छूट गया एवं अपीलाण्ट की हक हिस्से की भूमि भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज दर्शा दी गई है जबकि अपीलाण्ट का उक्त आराजी संख्या 257, 366 की भूमि में हिस्सा जन्म से निहित होना प्रथम दृष्टया प्रकट है। यदि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व स्व. भान सिंह के विधिक वारिसान बाबत् भी जांच पड़ताल की जाती तो प्रश्नगत निर्णय पारित किया जाना कतई सम्भव नही था। अधीनस्थ न्यायालय के वार्डपंच पटवारी सभी अपीलाण्ट में परिचित होकर जानकार थे। जिन्होनें वास्तविकता को छिपाये रखा और प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक करवा दिया जबकि अपीलाण्ट स्व. भान सिंह पुत्र स्व. चतर सिंह जी राजपूत की जाईन्दा सन्तान होकर विधिक वारिस है, जिसका वादग्रस्त भूमि में पैतृक हक व हिस्सा निहित है। जिससे अपीलाण्ट के परोक्ष में पारित प्रश्नगत नामान्तरण प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट्स एवं उनसे हितबद्ध लोगों पर विश्वास कर लिया तथा अपीलार्थीयां को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर नही दिया गया व आनन–फानन में प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके प्रश्नगत निर्णय पारित फरमाया है ताकि रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को अपने हक अधिकारों से एवं पैतृक भूमि से वंचित कर सके तथा भूमि को अपने नाम दर्ज कराकर खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जावें जबकि ऐसा कोई हक अधिकार रेस्पोडेण्ट्स को प्राप्त नही है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीयां के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी लेते हुए एवं अपीलार्थीयां के जीवित रहते हुए झूठा प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिसके लिए रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के बजाय माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय पारित फरमाया है जो कि खारिज योग्य है। अपीलाण्ट को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 20.02.2023 को हुई जब रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा दिवानी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये एक वाद–पत्र अनवानी निर्भय सिंह बनाम सज्जन कुंवर प्रकरण संख्या 17/2023 ई. दी. एवं 30/2023 मु.दी. के सम्मन प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित पटवार हल्का से उपरोक्त कृषि भूमि की नकल प्राप्त की जिसमें अपीलाण्ट एवं

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपीलाण्ट के पिता के स्थान पर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होना ज्ञात हुआ तत्पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1986 की नकल दिनांक 20.02.2023 को प्राप्त की जिस पर उपरोक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण बाबत् जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1986 दिनांक 17.01.2007 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को अपीलाण्ट की पैतृक भूमि में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 8, 9 एवं 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 18 अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 एवं 10 से 12 एवं 14 से 17 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सवीनाखेड़ा, तहसील गिर्वा (उदयपुर) की हाल आराजी संख्या 257 व 366 मूल पुरुष श्री चतर सिंह की पैतृक संपत्ति है। चतर सिंह जी के पांच पुत्रों में से एक श्री भान सिंह (अपीलाण्ट के पिता) थे, जिनका स्वर्गवास 04.11.1995 को हुआ। अपीलाण्ट सज्जन कुंवर स्व. भान सिंह की विधिक वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, अपीलाण्ट का इस पैतृक संपत्ति में जन्म से ही सह–दायिकी (Coparcenary) अधिकार निहित है। चतर सिंह जी की मृत्यु के पश्चात जब विरासत का नामान्तरण खोला गया, तब रेस्पोडेण्ट्स ने दुर्भावनापूर्वक, मिलीभगत करके अपीलाण्ट का नाम पूर्णतः छुपा दिया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 (अपीलाण्ट की माता) ने जीवित पुत्री के तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठा प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर लापरवाही बरतते हुए, स्व. भान सिंह के वास्तविक विधिक वारिसान के संबंध में कोई प्रभावी वैधानिक जांच नहीं की। न तो हल्का पटवारी से कोई सजरा तस्दीक कराया गया और न ही क्षेत्रीय वार्ड पंच से कोई तस्दीक ली गई। केवल रेस्पोडेण्ट्स के मौखिक कथनों पर विश्वास करके, अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना कोई नोटिस दिए या सुनवाई का अवसर प्रदान किए, पर्दे के पीछे आनन–फानन में विवादित नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलाण्ट आज भी उक्त भूमि के अपने हिस्से पर काबिज होकर

जिला कलक्टर
उदयपुर

उपभोग कर रही है। उसे इस फर्जी नामान्तरण की भनक तक नहीं थी। दिनांक 20.02.2023 को जब रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा दीवानी न्यायालय में दायर एक वाद का सम्मन अपीलाण्ट को तामिल हुआ, तब राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर इस जालसाजी का पता चला। अतः जानकारी के दिनांक से यह अपील पूर्णतः भीतर मियाद (अन्दर अवधि) है। अतः निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा न्यायालय को गुमराह कर, अपीलाण्ट को पैतृक हक से वंचित करने के उद्देश्य से कराया गया नामान्तरण संख्या 1986 दिनांक 17.01.2007 निरस्त फरमाया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम सह–खातेदार के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7, 10 से 12 एवं 14 से 17 द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा विधिवत जांच उपरान्त प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। यदि अपीलाण्ट भानसिंह की विधिक वारिसान है एवं त्रुटिवश नाम छूट गया है तो जांच उपरान्त अपीलाण्ट का नाम भानसिंह के विधिक वारिसान के रूप में दर्ज किया जाता है एवं श्री भानसिंह के हिस्से से अपीलाण्ट का हक/हिस्सा दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी का कथन है अपीलार्थी श्री भानसिंह की पुत्री होकर श्री चतरसिंह की विधिक वारिसान है लेकिन पारित नामान्तरकरण में उसका हक/हिस्सा निर्धारित नही किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 1986 दिनांक 17.01.2007 अनुसार चतरसिंह के विधिक वारिसानों के नाम सजरानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया जाना अंकित किया गया है किन्तु पत्रावली पर सजरा की प्रति उपलब्ध नही है। श्री चतरसिंह के विधिक वारिसानों की स्थिति पत्रावली पर स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विधिक वारिसानों के सम्बन्ध में पुनः जांच किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह श्री चतरसिंह के विधिक वारिसानों की नये सिरे से जांच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर